



बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (अन्य प्रजाति) योजना से जुड़ने का सुनहरा अवसर

अंतिम तिथि : 20 दिसम्बर, 2016

“पौधशाला स्थापित कर हरियाली एवं आमदनी बढ़ायें, रोजगार बढ़ाएँ, घर-घर में खुशहाली लायें”



श्री नीतीश कुमार,
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

योजना का उद्देश्य	<ul style="list-style-type: none"> उद्यमियों / कृषकों के माध्यम से पौधशाला स्थापना से अलग-अलग प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता के ज्यादा संख्या में पौधे तैयार होंगे जिससे वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। साथ-ही किसान बंधुओं/उद्यमियों की आय के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। 	बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग मुख्यमंत्री निजी पौधशाला स्थापित करने हेतु आवेदन प्रपत्र											
प्रजाति	<ul style="list-style-type: none"> सागवान, सेमल, गम्हार, महोगनी, यूकेलिप्टस (सफेदा), अमलतास, महुआ, नीम, शीशम, बॉस, अर्जुन, बकैन, करंज, बबूल, खैर इत्यादि। प्रत्येक पौधशाला के लिए प्रजातिवार संख्या आवंटन के साथ इंगित किया जायेगा। 	1. वन प्रमंडल का नाम :- 2. जिला का नाम :- 3. वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :- 4. प्रखंड का नाम :- 5. आवेदक का नाम :- 6. पिता/पति का नाम :- 7. पेशा :- 8. जन्म तिथि :- 9. स्थायी पता :- 10. वर्तमान पत्राचार का पता :- (दूरभाष / मोबाईल नं० अंकित करें) 11. ई-मेल (यदि हो) :- 12. पौधशाला स्थल की विवरणी :-											
पौधशाला के लिए सहयोग	<ul style="list-style-type: none"> पौधशाला स्थापना के लिए पॉलिथीन न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने में सहयोग किया जायेगा। गोबर, खाद, रसायनिक खाद, पौधशाला उपकरण इत्यादि न्यूनतम दर पर पौधशाला संचालकों द्वारा क्रय कराये जाने में सहयोग किया जायेगा। उद्यमी/कृषक यदि चाहें तो स्वयं भी इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा नं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> <th>रसीद सं०/वर्ष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष					
क्र०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं०/वर्ष									
योजना में शामिल जिलों का नाम	<ul style="list-style-type: none"> बिहार के सभी जिले। 	13. पौधशाला हेतु उपलब्ध सिंचाई सुविधा : (सुविधा की विवरणी एवं आवेदित प्लॉट से दूरी अंकित करें) 14. पौधशाला की प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था : 15. प्रशिक्षित है/प्रशिक्षण की आवश्यकता है (कृपया ✓ करें) : 16. पौधशाला संचालन का अनुभव (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : 17. पौधशाला स्थल संबंधित जानकारी : 18. बैंक में पूंजी की स्थिति : (प्रमाण के रूप में पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें) 19. बैंक खाता विवरणी :-											
कृषकों /लाभुकों को लाभ	<ul style="list-style-type: none"> पौधों (छोटे ट्यूब) के लिए कुल राशि (अधिकतम रु० 6.30) दो किस्तों में (पहला किस्त देय राशि का 40%, फरवरी माह) भुगतान किया जायेगा। इन पौधशालाओं से प्राप्त पौधों को कृषि वानिकी योजनांतर्गत किसानों की जमीन पर रोपण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अंतिम भुगतान पौधों के उठाव के बाद किया जायेगा। 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक खाता नं०</th> <th>बैंक का नाम एवं शाखा</th> <th>I.F.S.C कोड</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		बैंक खाता नं०	बैंक का नाम एवं शाखा	I.F.S.C कोड							
बैंक खाता नं०	बैंक का नाम एवं शाखा	I.F.S.C कोड											
योजना में शामिल होने के लिए पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> आवेदक की अपने नाम से या लीज पर (कम-से-कम तीन वर्ष तक के लिए) जमीन होनी चाहिए। जमीन समतल, ऊँची जल-जमाव मुक्त होनी चाहिए। पौधशाला संचालन में अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। 	20. घोषणा : मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है। पौधशाला आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधशाला स्थापित कर इनमें उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करूँगा/करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी-नियमों /निर्देशों का अनुपालन करूँगा/करूँगी। कालान्तर में उक्त सूचना गलत साबित होने पर मेरे पौधशाला आवंटन को रद्द किया जा सकता है तथा राशि की वसूली के लिये कार्रवाई की जा सकती है। संलग्न अभिलेख की विवरणी 1. 2. 3.											
आवेदन कहाँ करें	<ul style="list-style-type: none"> इच्छुक किसान की जिस जिले में पौधशाला लगाने हेतु जमीन हो, उसी जिले के स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय में अथवा वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करें। 	आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम तिथि के साथ											
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	<ul style="list-style-type: none"> 20 दिसम्बर, 2016 	विस्तृत जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय से या विभाग की वेबसाईट www.forest.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। ई-मेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए hariyalimission@gmail.com पर मेल करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अवधि — पूर्वाह्न : 09:30 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक मो० नं०-9473045992 पर सम्पर्क किया जा सकता है।											
आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले कागजात	<ul style="list-style-type: none"> भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/अद्यतन लगान रसीद/लीज डीड की छायाप्रति। बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति, जिसमें न्यूनतम रु० 20,000/- होने चाहिए। 												
चयन में प्राथमिकता	<ul style="list-style-type: none"> जमीन पर 200 मीटर के दायरे में सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। पूर्व के वर्षों में पर्यावरण एवं वन विभाग अथवा अन्य माध्यम से पौधशाला कार्य का अनुभव। 												